सत्यमेव जयते

Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises,
Government of India

MSME

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

और

सिडबी

सिडबी
के सहयोग से
परिचालित

भारत सरकार की नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्द्धन योजना के अंतर्गत निधियों की निधि

[अस्पायर निधि]

नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्द्धन योजना [अस्पायर]

Scheme for Promotion of Innovation, Rural Industry and Entrepreneurship [ASPIRE]

1. उद्देश्य
Objective

(i) नए रोज़गार का सृजन करना एवं बेरोज़गारी कम करना (ii) भारत में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना (iii) ज़िला स्तर पर ज़मीनी आर्थिक विकास करना (iv) अपूर्त सामाजिक आवश्यकताओं के लिए नवोन्मेषी व्यवसाय समाधान सुगम बनाना (v) एमएसएमई क्षेत्र की प्रतिस्पर्द्धी क्षमता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए नवोन्मेष को बढ़ावा देना।

(i) Create new jobs and reduce unemployment, (ii) Promote entrepreneurship culture in India, (iii) Provide grassroot economic development at district level, (iv) Facilitate innovative business solutions for unmet social needs, (v) Promote innovation to further strengthen the competitiveness of MSME sector.

2. प्रमुख विशेषताएँ
Principal features

निधि का नाम Name of Fund	अभिलाषा (अस्पायर) निधि ASPIRE Fund
निधि प्रबंधक Fund Manager	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) Small Industries Development Bank of India (SIDBI)
निधि का आकार Fund size	₹ 310 करोड़ ₹310 crore
निधि की अवधि Fund life/Tenure	प्रारंभ में निधि की अवधि 6 वर्ष तक रहेगी The tenure of the Fund will be initially upto 6 years

3. प्रयोजन
Purpose

सिडबी इस निधि का उपयोग नवोन्मेष, उद्यमिता, विनिर्माण एवं सेवाक्षेत्र से संबंधित सुपुर्दगी वाली बहुविध श्रृंखलाओं की उत्पादन-पूर्व एवं उत्पादनोत्तर सहबद्धताओं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उत्प्रेरित करने वाले कृषि-आधारित उद्योग वर्टिकलों और क्षेत्रों को गतिवर्द्धक सहयोग देने वाले क्षेत्रों से संबंधित नवारंभ उद्यमों (स्टार्ट-अप) /प्रारंभिक चरण वाले उद्यमों में निवेश के लिए विभिन्न ऐंजल /उद्यम पूँजी निधियों में अंशदान के लिए करेगा। उद्यम पूँजी निधियों के अभिलाषा (अस्पायर) निधि से किए जाने वाले अंशदान के बराबर का निवेश केवल उन कंपनियों

में किया जाना चाहिए, जो ग्रामीण एवं कृषि-केंद्रित हों, न कि उन कंपनियों में जो पूर्णत: सूचना प्रौद्योगिकी उद्यम हैं।

The Fund would be utilised by SIDBI to contribute to various Angel / Venture Capital Funds (VCFs) for investing in start-ups / early stage enterprises in the areas of innovation, entrepreneurship, forward backward linkage with multiple value chain of manufacturing and service delivery, accelerator support in the agro based Industry verticals and sectors which would galvanize the rural economy. Investment by VCFs to the extent of contribution from ASPIRE Fund should be made only in companies which are rural and agro focussed and not in companies which are exclusively Information Technology enterprises.

4. उद्यम पूँजी निधियों के लिए पात्रता मानदंड
Eligibility criteria of Venture Capital Funds (VCFs)

a) The fund received from ASPIRE scheme is to be invested in suitable funds falling under the Category I & II Alternative Investment Funds (AIF) registered with SEBI.

b) The AIFs should invest at least twice the amount of contribution received under ASPIRE Fund in Start-ups / early stage enterprises under Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) category, of which 1X shall be invested in the agro and rural focused Start-ups/ early stage enterprises under MSME category. Exclusive IT based application / intervention in the agro and rural based industry verticals shall not qualify for this compliance.

c) The AIFs shall endeavor to invest the contribution received under ASPIRE fund in as many enterprises as possible; in any case, not less than 5 enterprises.

d) Fund Manager/ team should have prior track record in Fund management or prior investment experience.

5. प्रक्रिया
Process

निधि का प्रबंध सिडबी का मौजूदा आंतरिक निवेश दल करेगा।

The Fund would be managed by SIDBI’s existing in-house investment team.

उद्यम पूँजी निधियों के चयन की प्रक्रिया दो-चरणीय होगी, जिसका निम्नवत् पालन किया जाएगा :

Two stage processes for selection of Venture Funds is followed as under:

5.1 चरण I : सिडबी की उद्यम पूँजी निवेश समिति द्वारा प्रारंभिक जाँच

Stage I : Preliminary Screening by Venture Capital Investment Committee (VCIC) of SIDBI

- निधि की प्रथम-दृष्टया पात्रता के बारे में आरंभिक चर्चा के आधार पर, प्रस्ताव उद्यम पूँजी निवेश समिति की प्रारंभिक जाँच के लिए ले जाया जाएगा, जिसमें सदस्य के रूप में सिडबी के अधिकारियों के अलावा, बाहरी विशेषज्ञ और एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार के नामिती शामिल होंगे।

  Based on the initial discussions with regard to prima-facie eligibility of the Fund, the proposal would be taken for preliminary screening to the Venture Capital Investment Committee (VCIC), having external experts as members, nominee from the Ministry of MSME Government of India, besides officials from SIDBI.
- संभावी निधि प्रबंधक को उद्यम पूँजी निवेश समिति के समक्ष अपनी विस्तृत प्रस्तुति करनी होगी।

  The prospective Fund Managers have to make a detailed presentation before VCIC.
- प्रारंभिक जाँच के आधार पर और निधि प्रबंधक से विचार-विमर्श के बाद, उद्यम पूँजी निवेश समिति प्रस्ताव की विस्तृत कर्तव्यपरायणता के लिए अनुशंसा करेगी।

  Based on preliminary screening and after deliberations with the Fund Managers, VCIC would recommend the proposal for undertaking detailed due diligence.

5.2 चरण II : निदेशक मंडल की कार्यकारिणी समिति द्वारा विस्तृत कर्तव्यपरायणता एवं मंज़ूरी

Stage II : Detailed due diligence and sanction by Executive Committee of the Board

- उद्यम पूँजी निवेश समिति की अनुशंसा के बाद, सिडबी प्रस्ताव की विस्तृत कर्तव्यपरायणता करेगा और प्रस्ताव निदेशक मंडल की कार्यकारिणी समिति के समक्ष मंज़ूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

  After recommendation of the VCIC, detailed due diligence of the proposal will be undertaken by SIDBI and the proposal will be put up to the Executive Committee of the Board for sanction.
- मंज़ूरी होने पर, आशयपत्र जारी किया जाएगा और अंशदान करार पर हस्ताक्षर किए जाएँगे।

  Upon sanction, Letter of Intent will be issued and Contribution Agreement would be signed.
- निधि द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं के आधार पर, निधि प्रबंधक सिडबी को निधि-आहरण का अनुरोध भेजेगा।

  Based on the commitments made by the fund, the fund manager would send a draw down request to SIDBI.

- सामान्यत: किसी उद्यम पूँजी निधि की प्रतिबद्धता अवधि 4 से 5 वर्ष के लिए होनी चाहिए।

  Generally, commitment period of a Venture Capital Fund should be for a period of 4 to 5 years.
- उद्यम पूँजी निधि की प्रतिबद्धता अवधि के बारे में निर्णय करने का विवेकाधिकार उद्यम पूँजी निवेश समिति के पास होगा।

  VCIC shall have the discretion to decide on the commitment period of VCF on case to case/need basis.

6. निवेश का आकार

Size of investment

- निवेश की कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है। किसी उद्यम पूँजी निधि में अधिकतम भागीदारी ₹10 करोड़ से अधिक नहीं होगी।

  There is no minimum investment limit prescribed. The maximum participation in a Venture Capital Fund (VCF) shall not exceed ₹10 crore.
- निवेश की मात्रा उद्यम पूँजी निधि के आकार के 25% से अधिक नहीं होगी। जहाँ आवश्यक समझा जाएगा, न्यूनतम निवेश सीमा निर्दिष्ट करने /निवेश सीमा को आशोधित /पुनरीक्षित /परिवर्तित करने का विवेकाधिकार उद्यम पूँजी निवेश समिति के पास होगा।

  The investment shall not be more than 25% of the size of VCF. VCIC shall have the discretion to specify minimum investment limit / modify/revise/alter the investment limit, wherever considered necessary.

7. अन्य

Others

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों /राज्य सरकारों द्वारा परिचालित निधियों की निधि से उद्यम पूँजी निधि की समूह-निधि में किया जाने वाला सकल अंशदान उसकी समूह-निधि के 35% से अधिक नहीं होगा। यदि सकल अंशदान 35% से अधिक होगा, तो सिडबी का अंशदान उस सीमा तक घटा दिया जाएगा। उद्यम पूँजी निधियों को अंतिम समापन के समय एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

The aggregate contribution to the corpus of VCF from Fund of Funds being operated by different Ministries of the Government of India/ State Governments shall not exceed 35% of its corpus. In case such aggregate contribution exceeds 35%, SIDBI’s contribution shall be reduced to that extent. VCFs will be required to furnish a certificate at the time of final closing.

संपर्क : वी सी एफ परिचालन,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,
एमएसएमई विकास केंद्र, भूखंड सं. सी-11, जी-ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा(पूर्व),
मुंबई - 400051, महाराष्ट्र
दूरभाष सं.: 022-67531100 / फ़ैक्स सं. 022-67531236
ई-मेल आईडी: vcfoperations@sidbi.in

Contact: VCF Operations,
Small Industries Development Bank of India
MSME Development Centre, Plot No. C-11, 'G' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400051, Maharashtra
Phone No: 022-67531100 / Fax No. 022-67531236
Email id: vcfoperations@sidbi.in

xxxxxx